तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	पेश होने अधिवक्ता पक्ष श्री सुरेश मेघवंशी की ओर से एवं बड़े जार रजिस्टर्ड A.D पावती श्री राजकुमार हेतु पत्रावली दिनांक 20/9/19 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	
20/9/19	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 11/10/19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
11.10.19	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 17.10.19 को पेश हो।	
17.10.19	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 18.10.19 को पेश हो।	
18.10.19.	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित, विपक्षीगण के अधिवक्तागण श्री अब्दुल रशीद पठान एवं श्री राजेश तिवाड़ी ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे दर्ज ग्राम गुढ़ा [illegible] तहसील मांडल मे स्थित आराजी नं. 744/525, 746/525, 747/525, 748/525 मे संशोधन कर मूल आराजी नं. 525 के बजाय 524 दर्ज कर वर्तमान राजस्व अभिलेख मे 744/524, 746/524, 747/524, 748/524 आराजी नं. को दर्ज करने मे कोई आपत्ति [illegible]	No objection No objection Tiwari

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 14:45:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मैने पत्रावली का अवलोकन किया. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव संलग्न दस्तावेज एंव तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तो जाहिर आया कि आराजी नं. 745/525, 746/525, 747/525, 748/525 के सेटलमेन्ट से पूर्व साबिक आराजी नं. 184/1 थे, साथ ही वर्तमान मूल आराजी नं. 524 के साबिक नं. 184/1 ही थे। एंव वर्तमान मे इस न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय से विपक्षीगण का कब्जा आराजी नं. 524 मे होने के बावजूद विपक्षीगण का नाम आराजी नं. 525 मे दर्ज कर दिया गया। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ पेश मौका रिपोर्ट अनुसार विपक्षीगण का मूल आराजी नं. 525 पर कब्जा नही होकर मूल आराजी नं. 524 पर कब्जा है तथा उक्त दोनो मूल आराजी नं. 524, 525 वर्तमान मे सिक्सलेन प्रोजेक्ट की थ्री डी मे सम्मलित होकर मुआवजा भी प्रक्रियाधीन है साथ ही उक्त आराजियात DILRMP के तहत कार्यान्तर्गत होकर तरमीम भी बकाया है तथा विपक्षीगण ने भी मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम आराजियात के मूल नं. 525 के स्थान पर 524 दर्ज करने हेतु सहमति दी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रा. पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं, अत:	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 14:45:57 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	:: आदेश ::	
	अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम गुड़ा पटवार हल्का सेंतोकपुरा तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 744/525, 746/525, 747/525, 748/525 के मूल आराजी नं. 525 को संशोधित किया जाकर मूल आराजी नं. 524 दर्ज कर विपक्षीगण के रकबे अनुसार आराजी नं. 744/524, 746/524, 747/524, 748/524 दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शे मे तरमीम की जावे। तहसीलदार माण्डल राजस्व नक्शे मे तरमीम करे। राजस्व नक्शे मे तरमीम हेतु तहसीलदार माण्डल को लिखा जावे।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।	
	उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 14:45:57 IST
Reason: SelfAttested